ISSN: 0973-0583

समावेशी शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया

डॉ० विनय कुमार

सहायक प्राध्यापक,एल.एन.मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर

सारांश

समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी व्यक्तियों की समान सीखने के अवसरों में उपस्थिति, भागीदारी और उपलब्धि की रक्षा करती है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा नीतियों, अभ्यास और सुविधाएँ कक्षा के संदर्भ में सभी व्यक्तियों की विविधता का सम्मान करती है। समावेशन का उद्देश्य सभी को उनकी जाति, लिंग, चिकित्सा या अन्य जरूरतों के बावजूद स्वीकार करना है। समावेशी शिक्षा प्रारंभिक बचपन केन्द्रों और स्कूलों की क्षमता का निर्माण कर लेती है ताकि सभी छात्रों को शिक्षित और समर्थन किया जा सके और मजबूत समुदायों में योगदान दिया जा सके। समावेशन के सिद्धांत शिक्षा और देखभाल में समानता, पहुँच और अवसर दिव्यांग बच्चों और छात्रों के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं और उनके खिलाफ भेदभाव को कम करने में योगदान देते हैं। समाज का विकास मानवीय क्षमता के विकास पर निर्भर करता है। समाज में विकास के लिए सभी का सहयोग वांछित है। शिक्षा समाज के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा को व्यक्ति की दक्षता बढ़ाने का साधन ही नहीं बल्कि लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपने सामाजिक जीवन स्तर में सुधार के लिए भी आवश्यक माना जाता है। भारत में दिव्यांगों की संख्या अधिक है और इनके विकास के बिना देश का पूर्ण विकास संभव नहीं है। भारत में दिव्यांगों के लिए शिक्षा व्यवस्था का एक बदलता स्वरूप दिखाई दे रहा है वो है समावेशी शिक्षा।

शब्द कुंजी:- समावेशी शिक्षा, समावेशन, समानता, दिव्यांग, भेदभाव, सामुदायिक शिक्षा, एक समान विद्यालय, दिव्यांग, कमजोर बच्चे, पाठ्चर्या, एन.सी.एफ. 2005

प्रस्तावना:

समावेशी शिक्षा केवल एक दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि एक माध्यम भी है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनमें कुछ सीखने की ललक होती है और जो तमाम अवरोधों के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि सभी युवा चाहे वे सक्षम हो या विभिन्न रूप से सक्षम उन्हें सीखने योग्य बनाया जाए। इसके लिए एक समान स्कूल के पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्कूलों और सामुदायिक शिक्षा व्यवस्था तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ लचीली शिक्षा प्रणाली से ही संभव है। भारत में दिव्यांग से संबंधित कानूनी प्रावधानों क इतिहास का प्रारंभ वर्ष 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट से माना जाता है जिसमें यह कहा गया था कि दिव्यांगता यदि विशेष विद्यालय के अनुकूल है तभी दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष विद्यालयों में भेजा जाना चाहिए। इसी बात पर कोठारी आयोग 1966-68 ने भी जोर दिया और दिव्यांग लोगों की शिक्षा को शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग माना। भारत में समावेशी शिक्षा की शुरूआत के लिए दिव्यांगों के लिए समेकित शिक्षा योजना 1879 के दशक में प्रारंभ की गयी जिसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में शामिल करना व शैक्षिक अवसर प्रदान करने के साथ ही साथ सभी स्तर पर उन्हें समुदाय से जोड़ना था। इसके बाद अनेक योजनाएँ आरंभ की गयीं परन्तु समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2000 महत्वपूर्ण है जब एन.सी.ई.आर.टी. ने विद्यालयी शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या राष्ट्रीय रूपरेखा 2000 में समावेशी विद्यालयों पर बल दिया। भारत में समावेशी शिक्षा के लिए वर्ष 2009 महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसी वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी शिक्षा के लिए सलमांका सम्मेलन 1994 मील का पत्थर साबित हुआ। यह सम्मेलन जून 1994 में स्पेन के सलमांका शहर में आयाजित हुआ जिसमें 92 देशों के प्रतिनिधियों व 25 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन का प्रमुख निर्णय था सभी के लिए शिक्षा जिसमें बच्चे, युवा और विशेष आवश्यकता

वाले लोगों, दिव्यांगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा प्रदान करना।

यूनेस्को 2016 के अनुसार समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो (1)यह विश्वास करती है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी बच्चों की अलग-अलग प्रकार की विशेष आवश्यकताएँ होती हैं। (2) जिसका लक्ष्य सीखने की कठिनाइयों की पहचान और उनका प्रभाव न्यूनतम करना है। (3) जो औपचारिक शिक्षा से बाहर है और घर, समुदाय एवं विद्यालय से बाहर शिक्षा के अवसरों पर भी बल देती है। (4) अभिवृत्तियों /व्यवहारो, शिक्षण विविए, पाठयक्रम एवं वावावरण को परिवर्तित करने की वकालत करती है, ताकि सभी बालकों की विशेष आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

समावेशी शिक्षा:

समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि वह शिक्षा जिसमें दिव्यांग एवं अन्य सामान्य विद्यार्थी को एक साथ एक ही कक्षा में भेदभाव रहित वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाये। जिससे दिव्यांग विद्यार्थी समाज में आसानी से समायोजित हो जाएँ। जैसा कि एन.सी.एफ. 2005 में बतलाया गया है कि समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में वह चाहे स्कूल में हो या बाहर सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों के जीवन की तैयारी करायी जाए। और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के सबसे ज्यादा फायदे मिले।

यूनिसेफ यूनेस्को की रिपोर्ट एन.सी.एफ. 2000 एवं 2005 में बतलाया गया है कि समावेशी शिक्षा के दिव्यांग शारीरिक दिव्यांग, दृष्टि बाधित दिव्यांग, वाक् बाधित दिव्यांग, स्वलिनता सीखने की अक्षमता युक्त दिव्यांग, शैक्षिक पिछड़े, भाषायी अल्पसंख्यक, सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे, जनजातीय बच्चे, घुमंतू समाज के बच्चे, कामकाजी समूह के बच्चे आदि शामिल हैं।

विद्यार्थी एवं शिक्षक समावेशी शिक्षा:

स्कूलों में अक्सर कुछ गिने चुने बच्चों को ही बार-बार चुनते रहते हैं। इस छोटे समूह को तो ऐसे अवसरों से फायदा होता है उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे स्कूल में लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे बारा-बार उपेक्षित महसूस करते हैं और स्कूल में पहचाने जाने और स्वीकृति की इच्छा उनके मन में लगातार बनी रहती है। तारीफ करने के लिए हम श्रेष्ठता और योग्यता को आधार बना सकते हैं, लेकिन अवसर तो सभी बच्चों को मिलने चाहिए और सभी बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को भी पहचाना जाना चाहिए और उनकी तारीफ होनी चाहिए। इसमें विशेष जरूरतों वाले बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें दिए गए काम को पूरा करने में जरूर समय या मदद की जरूरत होती है। ज्यादा अच्छा होगा अगर शिक्षक ऐसी गतिविधियों की योजना बनाते समय कक्षा में बच्चों से चर्चा करें और यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक बच्चा अपना योगदान दे पाए। इसीलिए योजना बनाते समय शिक्षकों को सभी की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह उनके प्रभावी शिक्षक होने का सूचक बनेगा। स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि जब भिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भिन्न क्षमता स्तर वाले लड़के, लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं तो कक्षा का वातावरण और भी समृद्ध तथा प्रेरक हो जाता है।

सभी प्रकार के बच्चों जैसे आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब, कामकाजी बच्चों को शामिल कर सुदूर ग्रामीण बच्चे, घुमंतू जनजाति के बच्चे, किसी निर्दिष्ट स्थान पर रहने वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, भाषायी अल्पसंख्यक और सीखने की अक्षमता युक्त बच्चों आदि को समावेशी शिक्षा द्वारा शिक्षित किया जाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समावेशी शिक्षा की कक्षा प्रक्रिया में शिक्षक के दृष्टिकोण, अभिवृद्धि एवं व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। श्याम (2014) ने अपने शोध कार्य में पाया कि शिक्षकों का दिव्यांग विद्यार्थियों से प्रश्न न पूछना एवं उनके गृह कार्य की जाँच को अन्य विद्यार्थियों के समान न करना, इस प्रकार का व्यवहार इन बच्चों को बहिष्करण की तरफ धकेलता है। शिक्षकों का इस प्रकार

का दृष्टिकोण एवं व्यवहार समावेशी शिक्षा के गठन एवं सफल संचालन में कठिनाई उत्पन्न करता है। सामान्यत: शिक्षक का दृष्टिकोण एवं व्यवहार दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। शिक्षक इस प्रकार के विद्यार्थियों को अन्य से कमजोर समझता है या उसकी यह अधूरी समझ होती है कि यह विद्यार्थी सीख नहीं सकते। ये बच्चे कक्षा में होते हुए भी अपने को कक्षा से अलग पाते हैं। ज्यादातर शिक्षक दिव्यांग एवं अन्य इस प्रकार के विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं। आजाद (2013) ने अपने शोध में बतलाया की शिक्षकों को सहानुभूति के बजाय समानुभूति का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे ये विद्यार्थी अपने आप को कक्षा में अन्य विद्यार्थियों सें भिन्न नहीं समझें। समानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण दिव्यांगों को अन्य विद्यार्थियों के समान मजबूत बनने में सहायक होता है, जिससे समावेशी शिक्षा में शिक्षण अधिगम सीखने सिखाने की प्रक्रिया एक पक्षीय न होकर द्विपक्षीय हो जाएगी।

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया-समावेशी शिक्षा:

एन.सी.एफ. 2005 में समावेशी कक्षा शिक्षण के सम्बन्ध में बतलाया गया है कि संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री, गतिविधियों के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना करते हैं। (अनुभव, पूछताछ, अन्वेषण, प्रश्न पूछना, वाद विवाद, व्यावहारिक प्रयोग व ऐसा चिंतन जिससे सिद्धांत बन सके और विचारार्थ स्थितियों की रचना हो सके ये सभी बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करते हैं। स्कूली शिक्षा में अधिगम का एक बड़ा हिस्सा अब भी व्यक्ति आधारित है। अध्यापकों को ज्ञान हस्तांतरित करने वालों के रूप में देखा जाता है। अध्यापकों का उन अनुभवों का आयोजक समझा जाता है जो बच्चों के सीखने में सहायक होते हैं। समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षण प्रक्रिया और अधिगम प्रक्रिया के सम्बन्ध में यूनेस्को, एन. सी.ई.आर.टी. ने अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुझावों का वर्णन किया है जैसे कि यूनेस्कों ने अपनी रिपोर्ट में समावेशी शिक्षा में शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

1. कक्षा का वातावरण सीखने के लिए स्वस्थ एवं भेदभाव रहित हो।
2. शिक्षण विधि रोचक हो एवं विभिन्न उम्र समूह के अनुकूल हो तथा छात्रों को सिखने के लिए प्रेरित करने वाली हो।
3. शिक्षण मुख्यत: गतिविधि आधारित हो।
4. सभी सीखने वाले बच्चों की आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध करायी जाए।
5. दिव्यांग, श्रवण विकार दिव्यांग आदि को ध्यान रखकर। शिक्षक, अभिभावकों और नागरिक साथ मिलकर कार्य करें।
6. कक्षा शिक्षण की भाषा बच्चें के अनुसार (मातृभाषा) हो।
7. सभी बच्चों का शिक्षण, सुरक्षात्मक, लैंगिक उत्तरदायी एवं उत्साहजनक वातावरण में हो।

इन.सी.ई.आर.टी. 2017 में समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षण हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये।

1. दृष्टि विकार दिव्यांग के शिक्षण हेतु गैर दृष्टि आधारित तरीकों द्वारा सीखना, जैसे स्पर्श वास्तविक, ठोस प्रदार्थ का प्रयोग। सूचनाएँ जिसमें विस्तृत और वर्णनात्मक निर्देशों को अधिक उपयोग में लाना शामिल है। सुगंध और स्वाद वास्तविक ठोस पदार्थो की खुशबू और स्वाद का उपयोग करना। उपलब्ध विशेष शिक्षण सामग्री ब्रेल ट्रेलर फ्रेम और गणित, विज्ञान एवं अन्य किट का उपयोग।

2. श्रवण विकास दिव्यांग के शिक्षण हेतु अन्य इंद्रियों का सीखने के माध्यमों के रूप में उपयोग जैसे इशारे, शारीरिक भाषाएँ को पढ़ना, वास्तविक अनुभव प्रदान करने के लिए दृश्य के रूप में सामग्री का उपयोग, सीखी जाने वाली सामग्री को ध्वनि आधारित जानकारी के रूप में उपयोग में लाने के लिए यह समझ बनाना जरूरी है कि इन बच्चों के लिए किस तरह से शिक्षण कार्य किया जाए।

3. शारीरिक अक्षमता दिव्यांग के शिक्षण हेतु जाता है। उनकी जरूरतों को पूरा करने के साथ कक्षाओं को सुलभ बनाएँ, परीक्षाओं को पूरा समावेशी शिक्षण पद्धति नियमित कक्षाओं में पहले से करने में अतिरिक्त समय दे, कक्षा में बैठने मौजूद ऐसे सैकड़ों विद्यार्थियों को भी लाभ पहुँचाने के सुलभ साधन उपलब्ध कराएँ, संप्रेषण के वैकल्पिक साधनों यथा, ऑडियो रिकॉर्डर, हाव-भाव का

प्रयोग, कम्प्यूटर का उपयोग आदि।

समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षण की संकल्पना सभी बालकों के समन्वित विकास पर आधारित होती है। अत: शिक्षक को कक्षा में उपस्थित बच्चों की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। विभिन्न रूप से समक्ष दृष्टिवाधित दिव्यांग वाक्बाधित दिव्यांग, श्रवण ह्रास दिव्यांग आदि बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के मद्देनजर शिक्षण में शिक्षक को वातावरण को रुचिकर बनाना, आकर्षक एवं उपयुक्त विभिन्न शिक्षण सामग्रियों आदि का प्रयोग करना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सभी बालकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आदि क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए।

समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षण कार्य जटिल प्रक्रिया है। समावेशी शिक्षा की कक्षा में विभिन्न रूप से सक्षम शारीरिक, दृष्टिबाधित, श्रवण ह्रास एवं सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के क्षेत्र से बच्चे होते हैं, जिनकी कुछ विशेष आवश्यकताएँ होती है। समावेशी विद्यालय की कक्षाओं में शिक्षकों को विद्यार्थियों के अनुकूल शिक्षण विधि, सहकारी शिक्षण विधि एवं परियोजना आधारित शिक्षण का उपयोग करना चाहिए जिससे सभी विद्यार्थियों का सीखना संभव हो जाए। अत: यहाँ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि मामूली अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चों को मुख्यधारा से बाहर न रखा जाए। इस प्रकार समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षण हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं:-

1. कक्षा के वातावरण भेदभाव रहित सभी सीखने वाले के अनुकूल होना चाहिए, जैसे एन.सी.एफ. 2005 में बतलाया गया है कि सार्वजनिक स्थल रूप में स्कूल में समानता, सामाजिक विविधता और बहुलता के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। साथ ही बच्चे के अधिकारों और उनकी गरिमा के प्रति सजगता का भाव होना चाहिए। इन मूल्यों को सजगतापूर्वक स्कूल के दृष्टिकोण का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और उन्हें स्कूली व्यवहार की नींव बनना चाहिए। सीखने की क्षमता देने वाला वातावरण वह होता है जहाँ बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ भय का कोई स्थान नहीं होता और स्कूली रिश्तों में बराबरी और जगह में समता होती है।

2. कक्षा का शिक्षण व्यावहारिक ज्ञान से जोड़कर किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा की कक्षा शिक्षण विधि के रूप में सहकारी शिक्षण परियोजना आधारित शिक्षण एवं सहयोगात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए।

3. कक्षा शिक्षण में पाठ्यचर्या से जुड़ी सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे -मॉडल, चार्ट, मानचित्र, ऑडियो, विडियो, कम्प्यूटर एवं आई.सी.टी. सूचना संप्रेषण तकनीक का उपयोग करें। साथ ही शिक्षण कक्षा शिक्षण के पहले इन सामग्रियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें।

4. कक्षा शिक्षण में विशेष रूप से सक्षम दिव्यांग को अधिक से अधिक सीखने की सामग्री उपलब्ध कराई जाए, जैसे दृष्टिबाधित बच्चों को बल एवं श्रवण बाधित बच्चों को दृश्य आधारित सामग्री आदि।

5. सामान्य विद्यालय शिक्षकों को समावेशी शिक्षा को संदर्भ में रखकर प्रशिक्षण प्रदान किये जाएँ, उन्हें समावेशी शिक्षा प्रतिमान हेतु कक्षा शिक्षण दक्षता से युक्त बनाया जाए। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम को समावेशी शिक्षा के संदर्भ में रखकर परिवर्तन की आवश्यकता है।

6. स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या का पुनर्विकास एवं पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि एन.सी.एफ. 2005 में इस बात का वर्णन किया गया है कि वर्तमान पाठ्यचर्या को समावेशी शिक्षा के अनुकूल निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षण कार्य छात्रों के अनुरूप एवं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाए। शिक्षण इस प्रकार से हो कि जो विद्यार्थियों को उनके घरेलू ज्ञान से जोड़कर दिया जाए। समावेशी कक्षा में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया शिक्षक केन्द्रित से छात्र केन्द्रित की तरफ बढ़नी चाहिए। छात्रों को सक्रिय अन्वेषक की तरह विकसित होना चाहिए और इसके लिए प्रेरक विचारों को बढ़वा देने की रणनीति बहुत फायदेमंद हो सकती है। इस रणनीति का प्रयोग करने के लिए शिक्षक को खोजी शिक्षण के जरिए सभी छात्रों को उचित अनुभव नियमों के विश्लेषण और सिद्धांत मुहैया कराने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षण और कक्षा में विशेष

रूप से सक्षम छात्रों के लिए लचीलापन लाए जाने को लेकर एन.सी.ई.आर.टी. ने हाल में ही पाठ्यक्रम अनुकूलन पर प्राथमिक पठन सामग्री तैयार की है। यह पठन सामग्री इस सोंच पर आधारित है कि शिक्षा कक्षा में सभी छात्रों को अर्थपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराये। सरल भाषा और अभिव्यक्ति का प्रयोग करें जो सभी छात्रों के लिए महत्व रखे। इस पठन सामग्री में कई उदाहरणों से बताया गया है कैसे समावेशी कक्षा में मौजूदा शिक्षण पद्धति को बदला जाए और छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने वाला और इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. एन.सी.ई.आर.टी. 2000, विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की

   रूप रेखा 2999, एन.सी.आर.टी., नई दिल्ली, पृ० 31, 73, 74 और 91

2. 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एन. सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली, पृ० 28, 31, 92 , 96, 122, 124 और 135

3. 2015, इनक्लूडिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, एन. सी.ई.आर.टी.,नयी दिल्ली, पृ० 36, 59 और 106

4. 2017, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशन प्राथमिक स्तर, एन.सी. ई.आर.टी., नयी दिल्ली, पृ० 21, 46 और 95

5. कलाम, अब्दुल 20134, समावेशी शिक्षा और शिक्षक खोजे और जाने, अंक-7, विद्यामन सोसायटी, उदयपुर, पृ०33, चड्ढा, अनुप्रिया, 2016 भारत में समावेशी शिक्षा की रूपरेखा योजना अंक 1, प्रकाशन विभाग,नयी दिल्ली, पृ० 33,

6. दास, अनामिका 2015, समावेशी शिक्षा की राह में रूकावटें, लर्निंगकर्व, अंक-11,अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरू, पृ० 76, 79

7. मोहन पेगी, 2016 समावेशी कक्षा में अध्ययन, शैक्षिक संदर्भ, अंक-71-80, प्राप्ति स्त्रोत, यादव, अखिलेश 2018 उच्च प्राथमिक कक्षाओं का समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अध्ययन अप्रकाशित शोध।

8. यूनेस्को, 1994 द सलमांका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन स्पेशल नीड्स एजुेशन, यूनेस्को, सलमांका, स्पेन।

9. 2005 गाइडलाइन फॉर इनक्लूजन दृ, इनस्यारिंग एसेस टू एजुकेशन फॉर ऑल, यूनेस्को, पेरिस, पृ० 102

10. 2009 टूवर्ड इनक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विद डिसेएबिलिटी, कृ, गाइडलाइन, यूनेस्को, बैंकॉक, पृ० 40, 89 और 122

11. 2016 एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी, यूर्नेस्को, नयी दिल्ली, पृ० 146

12. यूनिसेफ, 2003 एग्जाम्पल ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन इंडिया यूनिसेफ, काठमांडू, पृ० 45, 63

13. एम, 2014 समावेशी शिक्षा के मायने खोजे और जाने अंक 8, विद्याभवन सोसायटी, उदयपुर, पृ०45

14. वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय 2014, अधि गम एवं शिक्षण वी.एड.,वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान।

15. सिंघल, निधि 2013 विकलांग बच्चों की शिक्षा, योजना, अंक-2 प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, पृ० 21-23, सिंह, अजय कुमार, 2008, भारत में समावेशी शिक्षा का स्वरूप, परिप्रेक्ष्य अंक 1, नीपा, नयी दिल्ली, पृ० 81

16. सिंह, रजनी रंजन, 2014 भारत में समावेशी शिक्षा की दशा और दिशा,परिप्रेक्ष्य, अंक-3, नीपाए, नयी दिल्ली, पृ० 01